

an>

Title: Regarding reservation of seats for Kashmiri students in various institutions.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, पिछले सप्ताह सदन के दोनों सदन में कश्मीर के विषय पर व्यापक चर्चा हुई। लगभग पूरे सदन ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए बात की। कश्मीरियों को अनेक तरह की सहूलियतें देने की बात सरकार लगातार करती रही है।... (व्यवधान) इसी अनुक्रम में कश्मीर के विस्थापितों और कश्मीरी पंडितों के बच्चों को राज्यों के विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए प्राथमिकता मिले, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में एक नोटिफिकेशन ईशू किया था। जिन विश्वविद्यालयों, स्टेट्स के लिए नोटिफिकेशन ईशू हुआ था, उनको एडमिशन की ऐलिजिबिलिटी में 10 प्रतिशत का रिलैवसेशन देने का प्रावधान था। साथ ही साथ 5 प्रतिशत सीटें अतिरिक्त कश्मीरी माइग्रेंट्स के वर्ग के लिए आरक्षित की गई थीं।

पंजाब यूनिवर्सिटी ने सीनेट और सिंडिकेट दोनों में इसको एपूव किया। लेकिन एपूव करने के बाद उन्होंने एडमिशन के लिए 2015-2016 के सत्र के लिए अपना जो प्रॉसपैक्टस छापा, उसमें केवल 5 प्रतिशत रिलैवसेशन का प्रावधान किया। उसके बाद 2016-2017 के सत्र का जो प्रॉसपैक्टस छापा, उसमें उसको भी विलोपित कर दिया। जिन छात्रों का 5 प्रतिशत एडिशनल सीट्स का प्रावधान होना चाहिए था, उन्हें उससे भी वंचित कर दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरा देश और पूरा सदन जब कश्मीरियों के बारे में चिंतित है तब जो विस्थापित कश्मीरी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, उनके बच्चों के लिए जो सुविधा भारत सरकार ने की है, उसे एमएचआरडी अपने तैल पर ऐंशोर कराए। जिन विश्वविद्यालयों ने इन प्रावधानों का पालन नहीं किया, इस अनुपालना को सुनिश्चित कराते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। धन्यवाद।

SHRI R.K. SINGH (ARRAH): Madam Speaker, I associate myself with the matter raised by him.

HON. SPEAKER: Yes, you can associate.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सत्यपाल सिंह, श्री अजय मिश्रा टेनी, डा. मनोज राजोरिया, श्री देवजी एम. पटेल, श्री हरीश मीना, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गौरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आर. के. सिंह, श्री रामचरण बोहरा, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया, श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकान्त एकनाथ शिंदे, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया और *m19 श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।